

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 15/2024

दायर दिनांक: 15/10/2024

उनवान

1. पूजा आयु 26 वर्ष पुत्री भेरूलाल जाति मीणा निवासी मून्डलाबिसोती तह० अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट

उपस्थित :-

प्रार्थीया :- विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर

अप्रार्थी :- परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 13.01.2025

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामिलती कब्जे काश्त एव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल मुन्डलाबिसोती तहसील अटरू में खाता सं० 13 के खसरा नं० 342/968 का रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 343 का रकबा 1.05 है०, खसरा नं० 349 का रकबा 1.96 है०, खसरा नं० 362/974 का रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 433 का रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 457/917 का रकबा 0.01 है०, खसरा नं० 458 का रकबा 0.07 है०, खसरा नं० 459/916 का रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 460 का रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 479 का रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 485 का रकबा 0.33 है०, खसरा नं० 49 का रकबा 2.76 है०, खसरा नं० 597 का रकबा 0.43 है०, खसरा नं० 599 का रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 600 का रकबा 0.85 है०, खसरा नं० 601 का रकबा 0.43 है०, खसरा नं० 7 का रकबा 0.44 है०, खसरा नं० 9/824 का रकबा 0.06 है० कुल 18 किता का रकबा 9.24 है० एवं ग्राम एवं माल मुन्डलाबिसोती तहसील अटरू में खाता सं० 14 के खसरा नं० 47 का रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 48 का रकबा 1.36 है०, खसरा नं० 8/821 का रकबा 0.02 है० कुल 3 किता का रकबा 7.44 है० शामिलती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ

सलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से पूजा के स्थान पर गायत्री अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम पूजा है जो कि उसके राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी मार्कशीट आदि दस्तावेजों में भी पूजा नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मुण्डलाबिसोती द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी पूजा नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम गायत्री पुत्री भेरूलाल के स्थान पर पूजा पुत्री भेरूलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम गायत्री कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल मुण्डलाबिसोती पटवार हल्का मुण्डलाबिसोती तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल मुण्डलाबिसोती तहसील अटरू में खाता सं० 13 के खसरा नं० 342/968 का रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 343 का रकबा 1.05 है०, खसरा नं० 349 का रकबा 1.96 है०, खसरा नं० 362/974 का रकबा 0.06 है०, खसरा नं० 433 का रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 457/917 का रकबा 0.01 है०, खसरा नं० 458 का रकबा 0.07 है०, खसरा नं० 459/916 का रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 460 का रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 479 का रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 485 का रकबा 0.33 है०, खसरा नं० 49 का रकबा 2.76 है०, खसरा नं० 597 का रकबा 0.43 है०, खसरा नं० 599 का रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 600 का रकबा 0.85 है०, खसरा नं० 601 का रकबा 0.43 है०, खसरा नं० 7 का रकबा 0.44 है०, खसरा नं० 9/824 का रकबा 0.06 है० कुल 18 कित्ता का रकबा 9.24 है० एवं ग्राम एवं माल मुण्डलाबिसोती तहसील अटरू में खाता सं० 14 के खसरा नं० 47 का रकबा 6.06 है०, खसरा नं० 48 का रकबा 1.36 है०, खसरा नं० 8/821 का रकबा 0.02 है० कुल 3 कित्ता का रकबा 7.44 है० शामिल की जाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में

प्रार्थीया का नाम पूजा पुत्री भेरूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3765 दिनांक 20.12.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों— नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डलाबिसोती सम्वत 2071—74 खाता संख्या 13, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डलाबिसोती सम्वत 2071—74 खाता संख्या 14, बैंक पास बुक, माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका, सरपंच ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार ग्राम एवं माल मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू के खाता सं० 13 व ग्राम व माल मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू के खाता संख्या 14 सहखातेदार गायत्री पुत्री भैरूलाल के स्थान पर पूजा पुत्री भेरूलाल किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

